रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 24 मई, 2003/3 ज्येष्ठ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 मई, 2003

संख्या एल० एल० आर०-डी०(6)-5/2003-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-5-2003 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान

667-राजपत्र/2003-24-5-2003—1,659. मूल्य : 1 रुपया।

के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2003 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्या 3.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

(1994 का 12).

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4 में :--

(i) उप-धारा (3) में,--

(क) "और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षद के रूप में नाम निर्देशित कर सकेगी :" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "।" चिन्ह रखा जाएगा ; और

(ख) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

(ii) उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षदों के रूप में नाम निर्देशित कर सकेगी :

परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिसने निगम के पार्षद का चुनाव लड़ा और हारा है, वह पार्षद के रूप में नाम निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नाम निर्देशित कोई पार्षद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद

धारित करेगा, परन्तु इस अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) में यथा उपबन्धित निगम की अवधि से परे नहीं।

(3 ख) उप-धारा (3 क) में निर्दिष्ट नाम निर्देशित पार्षदों तथा आयुक्त को निगम की सभी बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।"

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला :
तारीख 24 मई, 2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 3 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2003

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (*Act No.* 12 *of* 1994).

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2003. Short title.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994),— Amendment of section 4.

(*i*) in sub-section (3),—

(*a*) for the words and signs "and the State Government may, by notification, also nominate as councillors, not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal Administration:", the sign (.) shall be substituted; and

(*b*) the existing proviso shall be deleted ;

(*ii*) after sub-section (3), the following sub-sections shall be inserted, namely;—

"(3A) The State Government may, by notification, nominate as Councillors not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration:

Provided that the person who contested and lost the election of any Corporation shall not be eligible for nomination as a Councillors :

Provided further that a Councillors nominated under this sub-section

whether before or after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2003 shall hold office during the pleasure of the State Government, but not beyond the term of Corporation as provided for in sub-section(1) of section 5 of this Act

(3B) The nominated Councillors referred to in sub-section(3A) and the Commissioner shall have right to attend all the meetings of the Corporation and to take part in the discussion therein but shall not have any right to vote."

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित